पाठ - 18

स्थानीय सरकार और क्षेत्रीय प्रशासन

कभी-कभी आपने देखा होगा कि हमारे गाँव में हैंडपम्प या सड़क की जरुरत है पर इसके लिए किससे सम्पर्क किया जाए ? हम इसके के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व राज्य के मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएँगे | इन समस्याओं का समाधान स्थानीय प्रशासन करेगा | इसलिए सरकार के पास नहीं जाएँगे | सरकार के ऊँचे स्तरों के बारे में पढ़ने से पहले स्थानीय प्रशासन को समझना जरुरी हो जाता है | अत: आज हम स्थानीय सरकार व क्षैत्रीय प्रशासन को समझने की कोशिश करेंगे |

स्थानीय स्तर के शासन को स्थानीय प्रशासन या स्थानीय सरकार कहते हैं | यह स्थानीय समस्याओं के निदान और पीने के पानी, जल निकासी तथा अन्य सामाजिक विकास के लिए कार्य करता है | इस स्थानीय प्रशासन को प्रभावी बनाने हेतु जनता का प्रत्यक्ष सहयोग व भागीदारी अत्यंत आवश्यक है | स्थानीय सरकार दो प्रकार की होती हैं | 1 ग्रामीण स्थानीय सरकार 2 नगरीय स्थानीय सरकार |

ग्रामीण स्तर पर पंचायत राज व्यवस्था है | वहीँ बड़ें नगरों में नगर निगम व छोटे नगरों में नगर पालिका कार्यरत हैं | जिला स्तर पर जिला परिषद्, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है | तीनों एक दूसरें से जुड़े हुए हैं | अत: इन्हें पंचायत राज व्यवस्था का त्रि-स्तरीय ढांचा कहते हैं | वहीं नगरों व शहरों में भी त्रि-स्तरीय ढांचा हैं- 1 नगर निगम 2 नगर परिषद् 3 नगर पालिका | हमारे देश में नगर निगम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चैन्नई, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर आदि बड़े शहरों में है | नगर पालिका छोटे शहरों व कस्बों में होती है | जो क्षेत्र न गाँव की तरह होते हैं और न ही शहर के समान होते हैं वहां नगर पंचायत की व्यवस्था की जाती है |

प्राचीन काल में भी हमारें यहाँ सभी झगड़ें पंच-परमेश्वर के पास सुलझाने के लिए लाए जाते थे | यही ग्राम पंचायत का आरम्भिक रूप था, परन्तु ब्रिटिश शासन में पंचायती राज व्यवस्था को ख़त्म करने की कोशिश की गई, स्वतंत्र भारत में 1952 में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना व सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के साथ सोचा गया | पंचायती राज गांधीजी का सपना था, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर ग्राम सभा है | जिसमें उस पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों को मिलाकर (जिनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष हो) ग्राम सभा का गठन होता है | ग्राम सभा की वर्ष में दो बार बैठकें अनिवार्य हैं व इसका कार्य पंचायत के वार्षिक लेखों और परीक्षा प्रतिवेदन तथा प्रशासनिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना, नए विकास कार्यों को मंजूरी देना आदि हैं ग्राम सभा के अन्य सदस्यों में सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंच, प्रधान व उप प्रधान आदि आते हैं | ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है | इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण है व महिलाओं को भी 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है |

ग्राम पंचायत के कार्य -

सामाजिक कार्य : ग्राम पंचायत की साफ-सफाई, पीने के पानी की आपूर्ति, मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था तथा जल निकासी आदि |

विकास कार्य : सड़कें बनवाना, उनकी मरम्मत की व्यवस्था तथा देखभाल करना, सहकारी प्रबंध को विकसित करना तथा कुटीर उद्योगों को बढावा देना आदि |

प्रशासनिक कार्य : कर(टैक्स) एकत्रित करना, शुल्क व किराया लागू करना, जन्म व मृत्यु का पंजीकरण करना, बाजारों का प्रबंध करना, सहकारी प्रबंध की व्यवस्था आदि |

कल्याणकारी कार्य : ग्राम पंचायत प्राथमिक शिक्षा, महिलाओं व विकलांगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना, सिंचाई व्यवस्था, पशु नस्ल में सुधार कार्य, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, वृक्षारोपण, कुटीर उद्योगों को विकसित करना, प्रकाश प्रबंध न्याय पंचायत लगवाना आदि कल्याणकारी कार्य करवाती है |

ग्राम पंचायत के आय के स्रोत :- ग्राम पंचायत को सरकारी अनुदान के अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने पंचायत को कर लगाने और उसको वसूल करने की शक्ति प्रदान की है |

पंचायत समिति : पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं | सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच समिति के पदेन सदस्य होते हैं | पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता है व उपाध्यक्ष को उप प्रधान कहा जाता है | इस समिति का पदेन कार्यकारी अधिकारी प्रखंड विकास अधिकारी होता है | उस क्षेत्र के सांसद व विधायक भी उस पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं |

पंचायत समिति के कार्य : पंचायत समिति अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं की निगरानी, समन्वय पर्यवेक्षण तथा वार्षिक योजना व बजट तैयार करना, सिंचाई सुविधाओं के विकास पर ध्यान देना आदि कार्य करती है |

जिला परिषद : पंचायती राज प्रणाली की जिला स्तर पर सर्वोच्च संस्था जिला परिषद् होती है | जिला परिषद् के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं | जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव जिला परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है | जिला परिषद के अध्यक्ष को जिला प्रमुख के नाम से जाना जाता है |

जिला परिषद के प्रमुख कार्य :-

सलाहकारी कार्य : सरकार को जिले के सम्बन्ध में सलाह देना, जिले की आवंटित योजनाओं के क्रियान्वित में सलाहकारी भूमिका निभाना आदि |

वित्तीय कार्य : पंचायत समिति के बजट का अनुमोदन व पर्यवेक्षण केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा आवंटित धन का पंचायत सिमितियों में विभाजन करना आदि |

सामाजिक कार्य : सड़क, पुल, उद्यान आदि का निर्माण, मेला पर्व की देखभाल व व्यवस्था, पुस्तकालय, स्वास्थ्य केंद्र, बाल-विकास, परिवार नियोजन, जच्चा-बच्चा केंद्र स्थापित करना आदि |

प्रबंध कार्य : जिला परिषद स्थानीय निकाय होने के नाते पंचायत समिति तथा पंचायतों के विकास कार्यों में समन्वय स्थापित करती है तथा सहयोग प्रदान करती है |

जिला परिषद के आय के प्रमुख स्रोत :- राज्य सरकार से सहायता, अनुदान, भूमिकर व अन्य स्रोतों से प्राप्त आय |

73 वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, इस संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं - पंचायती राज त्रि-स्तरीय होगा, पंचायतों हेतु प्रत्यक्ष चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना व समय पूर्व भंग पंचायत में 6 महीनों के अन्दर नव-निर्वाचन संपादन, निर्देशन व नियंत्रण हेतु राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति आदि |

पंचायत राज के संस्थागत मुद्दों की समीक्षा हेतु श्री बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया किया, जिसमें 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की, इस आयोग की सिफारिश से भारत में त्रि- स्तरीय व्यवस्थाओं का विकास हुआ |

भारत में नगरीय प्रशासन : हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में सिन्धु घाटी सभ्यता में नगरीय प्रशासन के प्रमाण मिले हैं | स्वतंत्र भारत में नगरीय प्रशासन में स्थानीय निकायों की स्थापना 1688 में चैन्नई में की गई तथा उसके बाद 1726 में कोलकाता, मुंबई में भी नगरीय निकायों की स्थापना की गई | भारत में नगर पालिकाओं की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था उभरते हुए भारतीयों की राजनीतिक आकांक्षाओं को समायोजित करना है | वस्तुतः नगरों व कस्बों में नगरीय प्रशासन की स्थापना उपनिवेशी सरकार के हितों की पूर्ति के लिए की गई थी | इन संस्थाओं में मनोनीत व अधिकारी सदस्य अधिक थे | स्वतंत्रता के उपरांत नगर प्रशासन पूर्णत: बदल गया व लोकतान्त्रिक बनाते हुए ठोस प्रशासनिक अधिकार दिए गए | 73 वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय प्रशासन को सांविधानिक दर्जा देने के साथ- साथ तीन संस्थाओं को मान्यता दी गई | जो नगर पालिका, नगर परिषद्, नगर निगम के नाम से जानी जाती हैं |

नगर पालिका / पंचायत : नगर पालिका के गठन लिए किसी भी शहर की जनसँख्या कम से कम 5 हजार से अधिक होनी चाहिए | नगर पालिका का गठन राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाता है, नगर पालिका के सदस्यों को पार्षद कहते हैं उनका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा किया जाता हैं | नगर पालिका के अध्यक्ष को सभापति कहते है | अध्यक्ष का चुनाव पालिका के सदस्यों के द्वारा होता है | अध्यक्ष ऐच्छिक व प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करने के साथ-साथ राज्य सरकार व नगर आयुक्त के मध्य सम्प्रेषण का कार्य भी करता है |

स्वास्थ्य तथा स्वच्छता का कार्य : शहर की सफाई, कूड़ा करकट का निपटन, अस्पतालों का रख रखाव, टीकाकरण को बढावा देना |

बिजली और जलापूर्ति : रोशनी की व्यवस्था और रखरखाव सुरक्षित पेयजल की सुविधा |

सार्वजनिक कार्य : सड़कों का निर्माण कार्य, रखरखाव तथा नामकरण, घरों, बाजारों तथा होटलों आदि के निर्माण के नियम बनाना |

विविध कार्य : जन्म और मृत्यु का रिकार्ड रखना, श्मशान भूमि के लिए प्रावधान तथा रखरखाव आदि सार्वजनिक सुविधाएँ |

नगर परिषद् : नगर परिषद के गठन लिए किसी भी शहर की जनसँख्या कम से कम 20 हजार से अधिक होनी चाहिए | नगर परिषद् का गठन राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाता है, नगर परिषद् के सदस्यों को पार्षद कहते हैं उनका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा किया जाता हैं | नगर परिषद् के अध्यक्ष को सभापति कहते है | अध्यक्ष का चुनाव परिषद् के सदस्यों के द्वारा होता है | अध्यक्ष ऐच्छिक व प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करने के साथ-साथ राज्य सरकार व नगर आयुक्त के मध्य सम्प्रेषण का कार्य भी करता है |

नगर परिषद् के कार्य :-

स्वास्थ्य तथा स्वच्छता का कार्य : शहर की सफाई , कूड़ा करकट का निपटन , अस्पतालों का रख रखाव , टीकाकरण को बढावा देना |

बिजली और जलापूर्ति : रोशनी की व्यवस्था और रखरखाव सुरक्षित पेयजल की सुविधा |

शिक्षा : प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना मध्याहन में भोजन की व्यवस्था तथा बच्चों के लिए अन्य सुविधाएँ |

सार्वजनिक कार्य : सड़कों का निर्माण कार्य, रखरखाव तथा नामकरण, घरों, बाजारों तथा होटलों आदि के निर्माण के नियम बनाना |

विविध कार्य : जन्म और मृत्यु का रिकोर्ड रखना, श्मशान भूमि के लिए प्रावधान तथा रखरखाव आदि सार्वजनिक सुविधाएँ |

नगर परिषद् के आय के स्रोत :- कर प्राप्त करना, किराया व शुल्क/अधिभार, अनुदान, जुर्माने |

नगर निगम : नगर निगम के गठन लिए किसी भी शहर की जनसँख्या कम से कम 5 लाख होनी चाहिए | दिल्ली के अतिरिक्त प्रत्येक स्थानों पर नगर निगम का गठन राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाता है, दिल्ली में इसका गठन संसद द्वारा किया जाता है | नगर निगम के सदस्यों को पार्षद कहते हैं उनका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा किया जाता हैं | नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहते है | अध्यक्ष का चुनाव निगम के सदस्यों के द्वारा होता है | अध्यक्ष ऐच्छिक व प्रशासनिक कार्यो का निर्वहन करने के साथ-साथ राज्य सरकार व नगर आयुक्त के मध्य सम्प्रेषण का कार्य भी करता है |

नगर निगम के कार्य :-

स्वास्थ्य तथा स्वच्छता का कार्य :- शहर की सफाई , कूड़ा करकट का निपटन , अस्पतालों का रख रखाव , टीकाकरण को बढावा देना |

बिजली और जलापूर्ति :- रोशनी की व्यवस्था और रखरखाव सुरक्षित पेयजल की सुविधा |

शिक्षा :- प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना मध्याहन में भोजन की व्यवस्था तथा बच्चों के लिए अन्य सुविधाएँ |

सार्वजनिक कार्य :- सड़कों का निर्माण कार्य, रखरखाव तथा नामकरण, घरों, बाजारों तथा होटलों आदि के निर्माण के नियम बनाना |

विविध कार्य :- जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, श्मशान भूमि के लिए प्रावधान तथा रखरखाव आदि सार्वजनिक सुविधाएँ

विविकाधीन कार्य:- (मनोरंजन, सांस्कृतिक, खेलों सम्बन्धी गतिविधियाँ, कल्याणकारी सेवाएँ)

नगर निगम के आय के स्रोत :- नगर निगम अधिनियम में आय के स्रोतों का प्रावधान किया गया है इसमें मुख्यतः करों से प्राप्त आय, अन्य शुल्क तथा अधिभार, अनुदान, किराए से प्राप्त आय आदि |

जिला प्रशासन : शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के अलावा प्रत्येक जिलें में एक प्रशासनिक व्यवस्था भी है | यह प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से स्थानीय निकायों के कार्यों में योगदान करता है तथा प्रशासनिक व विकासात्मक कार्य भी करता है |

जिलाधीश :जिला प्रशासन का प्रभार जिलाधीश के हाथों में होता है | वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अंतर्गत आता है | जिला प्रशासन, राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है | जिलाधीश के कार्य निम्नांकित हैं -

जिले में कानून व्यवस्था तथा शांति बनाए रखना |

राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना |

राज्य सरकार और जिला स्तरीय संस्थाएं और कार्यालयों के बीच मुख्य कड़ी की भूमिका निभाना |

विभिन्न विभागों की गतिविधियों का समन्वयन करना जैसे - शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, भूमि व्यवस्था, पुलिस, जेल और संस्कृति |

जन शिकायतों की सुनवाई और उनका समाधान करना |

अनुमंडल अधिकारी : बेहतर प्रशासन के लिए प्रत्येक जिलें को छोटी इकाई में बांटा जाता है उसे अनुमंडल कहते हैं | अनुमंडल पदाधिकारी को उप जिला अधिकारी (SDO) कहते है | यह जिलाधीश की सहायता से कार्य करता है और उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है | यह भूमि रिकार्ड रखता है और भू- राजस्व एकत्रित करता है साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र जारी करता है |

ब्लॉक/खंड विकास अधिकारी : ब्लॉक सबसे निचले स्तर पर प्रशासन की इकाई है |ब्लॉक का प्रभारी प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) कहा जाता है | वह ब्लॉक की विभिन्न गतिविधियों की देखभाल करता है | वह पंचायत समिति के पदेन सचिव के रूप में बैठकों का रिकार्ड रखता है बजट तैयार करता है |

अवसर और चुनौतियाँ : ग्राम और शहरी स्थानीय निकाय हर भारतीय नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का मौका प्रदान करती हैं | यह नागरिकों को राजनैतिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बेहतरीन संस्थाएं हैं | इन निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के परिणामस्वरूप अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं इन संस्थाओं को चलाने में हिस्सा लेती हैं | यह महिलाओं के सशक्तिकरण का बहतरीन तरीका है |

दूसरी तरफ स्थानीय सरकारी निकायों के समक्ष कई चुनौतियाँ भी हैं | राजनीति प्रक्रिया में नागरिकों की गुणवत्तापूर्ण भागीदारी को बढावा देना सुनिश्चित करने में गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता तथा राजनीति के अपराधीकरण की प्रवृति जैसे कारक बाधाएं उत्पन्न करते हैं | जातिवाद और साम्प्रदायवाद के तत्व भी समस्या खड़ी करते हैं | भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की बढती प्रवृति भी स्थानीय निकायों के प्रभावी कार्यशील के लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं |